


12-04-21

पत्रावली आज पेग हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज लगावाई गयी। वकील प्राची अथवा विवादित पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अहम हाजरी एवं अहम पेंसरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल नुमार होकर नम्बर से कम हो तब्या बाद तम्भील दाखिल दफ्तर ही। यह निर्णय आज दिनांक 12-04-21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डला, सीकर